न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, पहाड़ी (भरतपुर) राज0
पीठासीन अधिकारी सुनील आर्य आर.ए.एस.

मुकदमा नं0 51/2011

उनवान

1. जवाहर सिंह पुत्र गिर्राज
2. चेतराम
3. सुभाष
4. प्रताप सिंह पिसरान पूरन सिंह जाति गूजर निवासी पहाडी तहसील पहाडी

सायलान

बनाम

1. परसुराम
2. खेमसिंह पिसरान बृजी जाति गूजर निवासी पहाडी तहसील पहाडी
3. तहसीलदार पहाडी

गैरसायलान

प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 212 आर0 टी एक्ट0

उपस्थिती

1. श्री शीशराम वर्मा एड0– सायलान
2. श्री प्रहलाद सिह एड0–गैरसायलान

निर्णय दिनांक 24.05.2017

सायलान द्वारा यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत घारा 212 आर.टी एक्ट के तहत इस आशय के साथ पेश किया की आराजी खसरा नं0 1479 रकबा 0.71 है0 वाके ग्राम पहाडी प्रथम तहसील पहाडी में स्थित है। यह है कि फरीकेन मुकदमा एक ही परिवार के सदस्य हैं। आराजी मु0 पूर्व में हमारे बुजुर्गान की आराजी है जो हमारे बुजुर्गान बृजी व नन्दलाल को भी विरासत में मिली है। तथा उनके बाद हम वारिसान के कब्जेकाश्त में है। आराजी की काश्त की सुविधा के लिए हमारे बुजुर्गान दुलेराम और नन्दलाल ने ही आज से करीब 150 वर्ष पूर्व मनवट करके बांट लिया था जो इस प्रकार है। आराजी के मध्य पूरब पश्चिम डौल डालकर उत्तरी हिस्सा सयलान के बुजुर्गान के हिस्से में तथा दक्षिणी 1/2 हिस्सा गैरसायलान के बुजुर्गान के हिस्से में आया। और तभी से सायल पक्ष व गैरसायल पक्ष अपने अपने हिस्से पर बाहैसियत खातेदार काश्तकार काबिज रहकर काश्त करते चले आ रहे है। और आज भी दोनों पक्ष अपने हिस्सों पर काबिज चले आ रहें हैं। आराजी मु0 के निस्फ हिस्से पर सायल पक्ष मुताबिक मनवट करीब 150 सालों से काबिज रहकर काश्त करते चले आ रहे हैं। और उक्त हिस्से को काबिले काश्त बनाने में काफी खर्चा भी कर चुके हैं। इस प्रकार सायलान आराजी के 1/2 हिस्सा पर अलग से अपने नाम खातेदारी कराकर अलग खाता कायत करा पाने के अधिकारी हो चुके हैं। और गैरसायलान के पक्ष में इतने पुराने कब्जे को कानूनन डिटर्व व चेलेन्ज नहीं किया जा सकता। गैरसायलान नाजायज तरीके से कब्जेकाश्त सायलान में मदाखलत मजाहमत करना चाहते हैं और जबरन कब्जा करना चाहते हैं।अतः गैरसायलान को ताफैसला मुकदमा जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द फरमाया जावे कि गैरसायलान सायलान के कब्जे काश्त में मजाहमत मदाखलत नहीं करें। जबरन ताकत के बल पर बेदखल कर कब्जा नाजायज न करें। राजस्व रिकार्ड एवं मौके की यथास्थिति बनायें रखें।

प्रकरण दर्ज रजि0 किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण मय वकील उपस्थित आये। वकील अप्रार्थीगण द्वारा जबाब पेश नहीं करने के कारण दिनांक 02.03.17 को मध्य प्रार्थनापत्र बन्द किया गया। वकील फरीकेन की बहस सुनी गई। वकील प्रार्थीगण ने बहस में निवेदन किया कि आराजी खसरा नम्बर 1479 बाके कस्बा पहाडी प्रथम में स्थित है। पक्षकारान एक ही

उपखण्ड अधिकारी पहाड़ी (भरतपुर) राज0

Scanned with OKEN Scanner

रिवार के सदस्य हैं। आराजी मुतदाविया का बंटवारा पक्षकारान के मध्य 50 साल पूर्व हो गया है। ुताबिक बंटवारा सभी अपने अपने आराजी पर काबिज है। आराजी के उत्तर में सडक है। प्रार्थीगण उसके सहारे काबिज है। अप्रार्थीगण प्रार्थीगण के कब्जे काश्त उत्तरी हिस्से में मजाहमत मदाखलत करना चाहते है। और प्रार्थीगण को उसके कब्जेकाश्त की आराजी से बेदखल कर कब्जा नाजायज करना चाहते है। आराजी को दीगर व्यक्तियों को रहनवय मुन्तकिल करना चाहते हैं। अतः अप्रार्थीगण को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द फरमाया जावे कि वे आराजी मुतदाविया कब्जेकाश्त प्रार्थीगण उत्तरी हिस्से में किसी प्रकार की मजाहमत मदाखलत न करें और रिकार्ड व मौके की यथास्थिति बनायें रखें। आराजी को दीगर व्यक्तियों को रहनवय मुन्तकिल न करें। वकील अप्रार्थी ने बहस में निवेदन किया कि विवादित आराजी हमारी सम्मिलित खातेदारी की आराजी है। सहकाश्तकार को भूमि के उपयोग/उपभोग से नहीं रोका जा सकता। विक्रय से भी नहीं रोका जा सकता। प्रकरण खारिज फरमाया जावे।

हमने वकील पक्षकारान की बहस पर मनन किया। पत्रावली का अवलोकन किया। प्रार्थीगण का उक्त आराजी में हक बनता है या नहीं यह दावे में तय होगा। किन्तु प्रथम दृष्टया प्रकरण प्राथीगण के पक्ष में प्रतीत होता है। और यदि आराजी खुर्दबुर्द होती है तो अपूर्णीय क्षति भी प्रार्थीगण को ही होगी।

अतः प्रार्थनापत्र प्रार्थीगण अन्तर्गत धारा 212 आर0टी0एक्ट0 स्वीकार किया जाता है। उभय पक्षकारान को ताफैसला मूल वाद अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वे आराजी खसरा नम्बर 1479/0.71 बाके कस्बा पहाडी प्रथम तहसील पहाडी को रहनवय मुन्तकिल नहीं करें। राजस्व रिकार्ड व मौके की यथास्थिति बनाये रखें।

निर्णय आज दिनांक 24.05.2017 को लिखाया जाकर सुनाया गया।

(सुनील आर्य)
उपखण्ड अधिकारी
पहाड़ी (भरतपुर) राज0

Scanned with OKEN Scanner